फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री अमरचन्द | **विपक्षी : श्री ललिता**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 80/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.11.2022

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 192 में आने जाने के लिए विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 193, 317, 318 में से होकर 14 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 193 के पूर्वी दिशा में से 0.0624 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 6,50,391/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 40,585/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 192 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आ.न. 193 के पूर्वी दिशा मे से 0.0624 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 4 मीटर चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 6,50,391/– अक्षरे छः लाख पचास हजार तीन सौ इकानवे रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0624 हेक्टेयर की कुल कीमत 40,585/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 81,170/– रूपयें इक्यासी हजार एक सौ सत्तहर रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी सं. 1 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:4[illegible]
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली